न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास दिव्या आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 52/2023

अनुवान दौलतराम बनाम ओमप्रकाश आदि

आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 113, 128 एल. आर. एक्ट. 1956

निर्णय दिनांक 20/1/25

दौलतराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी बंधनाऊ उत्तरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु –

प्रार्थी

बनाम्

1. औमप्रकाश पुत्र भँवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम बंधनाऊ उतरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु।
2. कमला पुत्री भँवरलाल जाति जाट निवासी बंधनाऊ उत्तरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु
3. केशराराम पुत्र भँवरलाल जाति जाट निवासी बंधनाऊ उत्तरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु
4. धापू पत्नी भँवरलाल जाति जाट निवासी बंधनाऊ उत्तरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु
5. प्रभूराम पुत्र भँवरलाल जाति जाट निवासी बंधनाऊ उत्तरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु
6. पुरखाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी बंधनाऊ उतरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु (राज.)
7. भवरलाल पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी बंधनाऊ उतरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु
8. इमरतराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी बंधनाऊ उत्तरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु
9. लिछमणराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी बंधनाऊ उत्तरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु
10. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरु (राजस्थान)

–अप्रार्थीगण

उपस्थिति –

1. श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. श्री एकपक्षीय कार्यवाही वास्ते अप्रार्थी सं0 1 ता 9
3. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी सं. 10

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.01.30 14:28:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण [illegible] से है कि प्रार्थी के नाम खेत खसरा नं. 115 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गैर मुमकिन [illegible] व खसरा नं. 116 तादादी 10.7900 हेक्टेयर कुल तादादी 10.8000 हैक्टेयर [illegible] उत्तरादा में खातेदारी की स्थित चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि का मौके पर रकबा कम है यानि अपनी खातेदारी सूरत रकबा मौके पर नहीं है जो पडौसी खातेदारान अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दबा हुआ है, जिसकी सही पैमाईश करवाकर पुख्ता सीगाचिह्न कायम करवाया जाकर पुख्ता पत्थरगढ़ी करवाई जानी न्यायसंगत है, जिसके लिए प्रार्थी की ओर से, यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 115, 116 कुल 10.8000 हैक्टेयर रोही ग्रामः बंधनाऊ उतरादा के

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

चिपता हुआ उत्तरी–पश्चिमी दिशा में खसरा नं. 111 तादादी 2. 4300 हैक्टेयर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 व उत्तरी दिशा में खसरा नं. 117 तादादी 5.5600 हैक्टेयर अप्रार्थी सं. 8 व 9 एवं दक्षिणी पूर्वी दिशा में खसरा नं. 119 तादादी 8.7600 हैक्टेयर गैर मुमकिन अगोहर व पश्चिमी दिशा में खसरा नं. 113 तादादी 2.7200 हैक्टेयर अप्रार्थी सं. 7 व दक्षिणी–पश्चिमी दिशा में खसरा नं. 114 तादादी 0.6700 हैक्टेयर अप्रार्थी सं. 6 रोही ग्राम बंधनाऊ उतरादा लगते हैं जो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 के खातेदारी खेत हैं; जिनको बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण के खेतों का रकबा मौके पर राजस्व रैकॉर्ड से ज्यादा है; अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 ने प्रार्थी का रकबा दबा रखा है; और अतिचार कर प्रार्थी की भूमि को दबा रखा है एवं अपना रकबा काफी बढ़ा रखा है; जिससे प्रार्थी की भूमि मौके पर काफी कम है। इसलिए प्रार्थी की भूमि की पुख्ता पत्थरगढ़ी करवाई जानी न्यायसंगत है।

प्रार्थी की कृषि भूमि को अप्रार्थीगण पक्षकारान ने अपनी–अपनी खातेदारी कृषि भूमि में अतिक्रमी बनकर दबा रखी है; जिससे प्रार्थी की भूमि मौके पर राजस्व रैकॉर्ड से काफी कम है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को आपसी सहमति से अपनी–अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने का कहा तो अप्रार्थीगण ने सहमति से, सीमाज्ञान करवाने से साफ इंकार कर दिया तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं. 10 तहसीलदार महोदय, सरदारशहर के समक्ष अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया; जिस पर तहसीलदार महोदय, द्वारा अपने आदेश क्रमांक भू. अ./23/1276 दिनाँक 24.04.2023 को पटवारी हल्का को आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में दिनाँक 18.05.2023 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के खेत खसरा नं. 115 व 116 कुल तादादी 10.8000 रोही ग्राम बंधनाऊ उतरादा का सीमाज्ञान प्रार्थी खातेदार व अप्रार्थीगण की मौजूदगी में किया गया है तब मौके पर प्रार्थी की भूमि काफी कम हुई और अप्रार्थीगण सं. 1 से 9 की कृषि भूमियाँ मौके पर राजस्व रैकॉर्ड से काफी ज्यादा हुई तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को भूमि का पुनः नाप करवाकर अपनी भूमि मुताबिक राजस्व रैकॉर्ड पूरी कर शेष बची भूमि को देने का कहा तो अप्रार्थीगण सं. 1 से 9 ने प्रार्थी को भूमि देने से मना कर दिया और कहा कि हम पटवारी के सीमाज्ञान को नहीं मानते हैं; आप पत्थरगढ़ी करवाकर कोर्ट से नपती ऑर्डर ले आओ और नपती करवा लो और अपनी भूमि ले लो तब प्रार्थी की ओर से यह आवेदन मय प्रमाणित प्रति सीमाज्ञान, आदेश व मौका रिपोर्ट न्यायालय पेश किया गया है। प्रार्थी की कृषि भूमि काफी उपजाऊ है, जिसके पडौसी खातेदारान अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 है; जिन्होनें प्रार्थी की कृषि भूमि पर अतिचार कर कृषि भूमि को अपनी कृषि भूमि में दबा रखा है; जिससे प्रार्थी की भूमि मौके पर काफी कम है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 की खातेदारी भूमि का राजस्व रैकॉर्ड व राजस्व नक्शा शामिल कर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की वर्णित खातेदारी कृषि भूमि को अप्रार्थीगण सं. 1 से 9 ने अतिचार कर दबा रखा [illegible] प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि के चारों तरफ के खातेदारान खसरा [illegible] 113 [illegible] 117 [illegible] रोही ग्राम बंधनाऊ उतरादा को नियमानुसार बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया जाकर प्रा[illegible]पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है; जिसमें खसरा नं. 119 तादादी 8.7600 हैक्टेयर जो गैर मु[illegible]न अगोहर की भूमि है और प्रार्थी जैर प्रार्थना–पत्र में अंकित अपनी खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार है; जिसको अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कायम करवाने का पूर्ण हक–अधिकार प्राप्त है। जिसके लिए प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:28:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अतः प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 111, 113, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 115 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गैर मुमकिन ट्यूबवैल व खसरा नं. 116 तादादी 10.7900 हैक्टेयर कुल तादादी 10.8000 हैक्टेयर रोही ग्राम बंधनाऊ उतरादा तहसील सरदारशहर का सीमाज्ञान करवाया जाकर नियमानुसार कानून सम्मत सुनवाई कर पुख्ता पत्थरगढ़ी कायम करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन सशुल्क तलब किया गया। रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण की तामील होने एवं बात तामील रशीदे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के पश्चात अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं पत्रावली बहस मुकर्रर कर बहस पक्षकारान सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के नाम खेत खसरा नं. 115 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गैर नुमकिन ट्यूबवैल व खसरा नं. 116 तादादी 10.7900 हेक्टेयर कुल तादादी 10.8000 हैक्टेयर रोही ग्रामः बंधनाऊ उत्तरादा में खातेदारी की स्थित चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि का मौके पर रकबा कम है यानि अपनी खातेदारी सूरत रकबा मौके पर नहीं है जो पडौसी खातेदारान अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दबा हुआ है, जिसकी सही पैमाईश करवाकर पुख्ता सीगाचिह्न कायम करवाया जाकर पुख्ता पत्थरगढ़ी करवॉई जानी न्यायसंगत है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 115, 116 कुल 10.8000 हैक्टेयर रोही ग्रामः बंधनाऊ उतरादा के चिपता हुआ उत्तरी–पश्चिमी दिशा में खसरा नं. 111 तादादी 2. 4300 हैक्टेयर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 व उत्तरी दिशा में खसरा नं. 117 तादादी 5. 5600 हैक्टेयर अप्रार्थी सं. 8 व 9 एवं दक्षिणी पूर्वी दिशा में खसरा नं. 119 तादादी 8.7600 हैक्टेयर गैर मुमकिन अगोहर व पश्चिमी दिशा में खसरा नं. 113 तादादी 2.7200 हैक्टेयर अप्रार्थी सं. 7 व दक्षिणी–पश्चिमी दिशा में खसरा नं. 114 तादादी 0.6700 हैक्टेयर अप्रार्थी सं. 6 रोही ग्राम बंधनाऊ उतरादा लगते हैं जो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 के खातेदारी खेत हैं; जिनको बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण के खेतों का रकबा मौके पर राजस्व रैकॉर्ड से ज्यादा है; अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 ने प्रार्थी का रकबा दबा रखा है; और अतिचार कर प्रार्थी की भूमि को दबा रखा है एवं अपना रकबा काफी बढ़ा रखा है; जिससे प्रार्थी की भूमि मौके पर काफी कम है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को आपसी सहमति से अपनी–अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने का कहा तो अप्रार्थीगण ने सहमति से, सीमाज्ञान करवाने से साफ इंकार कर दिया तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं. 10 तहसीलदार सरदारशहर के समक्ष अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया; जिस पर तहसीलदार द्वारा अपने आदेश क्रमांक भू.अ. /23/1276 दिनाँक 24.04.2023 को पटवारी हल्का [illegible] किया गया। उक्त आदेश की पालना में दिनाँक 18.05.2023 को [illegible] पटवारी [illegible] प्रार्थी [illegible] खसरा नं. 115 व 116 कुल तादादी 10.8000 रोही ग्राम बंधनाऊ उतरादा का सीमा[illegible] प्रार्थी खातेदार व अप्रार्थीगण की मौजूदगी में किया गया है तब मौके पर प्रार्थी की भूमि [illegible] कम हुई और अप्रार्थीगण सं. 1 से 9 की कृषि भूमियाँ मौके पर राजस्व रैकॉर्ड से काफी ज्यादा हुई तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को भूमि का पुनः नाप करवाकर अपनी भूमि मुताबिक राजस्व रैकॉर्ड पूरी कर शेष बची भूमि को देने का कहा तो अप्रार्थीगण सं. 1 से 9 ने प्रार्थी को भूमि देने से मना कर दिया। प्रार्थी की कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:28:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

काफी उपजाऊ है, जिसके पडौसी खातेदारान अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 है; जिन्होनें प्रार्थी की कृषि भूमि पर अतिचार कर कृषि भूमि को अपनी कृषि भूमि में दबा रखा है; जिससे प्रार्थी की भूमि मौके पर काफी कम है। इसलिए प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि के चारों तरफ के खातेदारान खसरा नं. 111, 113, 114, 117, 119 रोही ग्राम बंधनाऊ उतरादा को नियमानुसार बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया जाकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है; जिसमें खसरा नं. 119 तादादी 8.7600 हैक्टेयर जो गैर मुमकिन अगोहर की भूमि है और प्रार्थी जैर प्रार्थना–पत्र में अंकित अपनी खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार है; जिसको अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कायम करवाने का पूर्ण हक–अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 115 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गैर मुमकिन ट्यूबवैल व खसरा नं. 116 तादादी 10.7900 हैक्टेयर कुल तादादी 10.8000 हैक्टेयर रोही ग्राम बंधनाऊ उतरादा तहसील सरदारशहर का सीमाज्ञान करवाया जाकर नियमानुसार कानून सम्मत सुनवाई कर पुख्ता पत्थरगढ़ी कायम करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र के तथ्यों, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकॉर्ड, अभिलेख व प्रार्थी के दौराने बहस दिये गये तर्कों व कथनो पर ध्यान पूर्वक गौर किया गया। वर्णित विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 115 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गैर मुमकिन ट्यूबवैल व खसरा नं. 116 तादादी 10.7900 हैक्टेयर कुल तादादी 10.8000 हैक्टेयर रोही ग्राम बंधनाऊ उतरादा तहसील सरदारशहर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी कायम करवाना चाहता है उस भूमि का प्रार्थी खातेदार मालिक है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र पुष्ट व प्रमाणित पाया जाता है फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 115 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गैर मुमकिन ट्यूबवैल व खसरा नं. 116 तादादी 10.7900 हैक्टेयर कुल तादादी 10.8000 हैक्टेयर रोही ग्राम बंधनाऊ उतरादा तहसील सरदारशहर बाबत दोनों पक्षकारों को सूचित किया जाकर एक राजस्व टीम गठित की जाकर मौके की कब्जा काश्त के अनुसार दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमांकन कर पत्थरगढ़ी कायम की जावे। पत्थरगढ़ी का खर्चा प्रार्थी वहन करें। विवाद की स्थिति में पुलिस थाना सरदारशहर से पुलिस ईमदाद ली जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सरदारशहर को भेजी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:28:28 IST
Reason: SelfAttested

दिव्या (RAS)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 20/1/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिव्या (RAS)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)